



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022021-225015
CG-DL-E-09022021-225015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 522]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

का. आ. 574(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में, 'आयुर्वेद और सिद्ध' से संबंधित भाग 1 में, "मध्य प्रदेश" शीर्ष के अधीन क्रम सं. 54च के सामने स्तंभ 5 में मद 6 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

5

"7 शासकीय स्वाशासी धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, मंगलनाथ मार्ग और जिला उज्जैन-456001, मध्य प्रदेश"

[फा. सं. एल- 14030/19/2019-ईपी-1]

पी.एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की द्वितीय अनुसूची का प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 4068(अ) तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 454(अ), तारीख 27 जनवरी, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYUSH**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2021

S.O. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in the Second Schedule, in Part-I relating to “Ayurveda and Siddha”, under the heading “Madhya Pradesh”, against serial number 54F in column 5 after item 6, the following item shall be inserted, namely:-

5
“7. Government Autonomous Dhanwantri Ayurveda College, Mangalnath Marg, Taluka and District Ujjain-456001, Madhya Pradesh”.

[F. No. L-14030/19/2019-EP-1]

P.N.RANJIT KUMAR, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970(48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O.4068(E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O.454(E), dated the 27th January, 2021.